कार्यालय परिपत्र सं० 1617016 दिनांक 23-06-2016

पत्रांक -संग्रह- रिकवरी इन्ट्री मोड- (2016-2017) 187 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 जून ,2016

समस्त कर निर्धारण अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय महालेखाकार , उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के सम्प्रेक्षा दल द्वारा कर निर्धारण खण्डों के कर निर्धारण पत्रावलियों की सम्परीक्षा के दौरान आपत्तियां लगायी जाती है तथा खण्ड कार्यालयों द्वारा आडिट प्रस्तरों का निस्तारण विधि अनुरुप करते हुये मांग सृजित की जाती है। आदेश तामीली की तिथि से 45 दिन के अन्दर यदि सृजित मांग को जमा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था है। आपत्तियों से सम्बन्धित जारी वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध धनराशि जमा होने के पश्चात् ही आपत्ति का निस्तारण होता है। इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि आडिट आपत्तियों से सम्बन्धित वसूली प्रमाण पत्र पर आडिट आपत्ति से आच्छादित आर0सी0/ कोर्ट से आच्छादित आर0सी0 की मुहर आर0सी0 के ऊपरी किनारे पर लगा दी जाये जिससे कि संग्रह अमी**न** द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वसूली की कार्यवाही की जा सकें।

कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

20/06/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुये कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग एवं विभागीय बेवासाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

5- समस्त विभागीय वसूली के जनपद में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21.6.16

एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।